हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

सोमवार, 7 मार्च, 2022/16 फाल्गुन,1943(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 7 मार्च, 2022 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखा जायेगा :

सचिव, विधान सभा, **हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6)** की प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

4. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,**
बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 की प्रति सभा पटल पर रखेंगी।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,**
बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,**
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,**
निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20; और

(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 ।

5. **सदन की समिति के प्रतिवेदन :**

कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22),
समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 5.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश समान्य उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 5.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम** से सम्बन्धित है ।

6. **वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान:-**

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 5 मार्च, 2022 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

सोमवार, 7 मार्च, 2022/ 16 फाल्गुन, 1943 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां
	अतारांकित प्रश्न
	कुल प्रश्न-28
1981	"विलोप किया गया ।"

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 05.03.2022 सचिव।

****